

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
--------	-----------------------------------	--

19/5/23

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 9.6.23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक क्लर्क माण्डल

9.6.23

उभय पक्ष उपस्थित पीठाधीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 23.6.23 को पेश हो। विपक्षीगण की ओर से अधिभार पत्र पेश हुआ।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

26/6/23

पत्रावली महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 कैंप ग्राम पंचायत मेष्मा में पेश हुई, विपक्षी सं. 1 के अधिवक्ता को प्रार्थी के पार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी के पार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निजी सूचक से लिखा जाकर शाह पत्र किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
24/6/23

हुकमीचन रीहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 71/23 प्रा०पत्र

1- श्री रतनलाल शि० श्री गंतरालाराम गिवासी-कंडा तहसील-कंडा

-प्रार्थी

बनाम

1- श्रीमती शोभा लईल० श्री शंकरलाल हरिजन गिवासी-तागोर तहसील-गांधी

2- राजस्थान राज्य जल तहसीलदार २१०-गांधी तहसील-गांधी

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956

दिनांक - 26.06.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तागोर पटवार हल्का तागोर 1 तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 7491/2124, 7509/2124 कुल किता 02 रकबा 0.8093 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जाये।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.05.23 को पजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अधलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। जैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम तागोर पटवार हल्का तागोर 1 तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 7491/2124, 7509/2124 कुल किता 02 रकबा 0.8093 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक तागोर को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके द कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जायें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जायें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023